[लोक सभा द्वारा 7.2.2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 6-सी

[दी पेमेंट्स ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 28 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1936 के अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में जमा करके संदाय किया जाना ।

"6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके संदत्त की जाएगी :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके, मजदूरी का संदाय करेगा ।"

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 निरसित किया जाता है । 2016 का अध्यादेश संख्यांक 9

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की हुई समझी जाएगी । 1936 का 4

5

GMGIPMRND—4483LS(CRC)—7-2-2017.